न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 08/2015

जैनव खातुन वनाम राज्य एवं अन्य

–:: आदेश ::–

11-3-17

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी जैनव खातुन के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1125–1 दिनांक 16.10.2015 के आलोक में दाखिल किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी महिषी प्रखंड के ग्राम पंचायत सिरवार–विरवार के वार्ड संख्या– 2 के ऑगनबाड़ी सेविका पद हेतु अभ्यर्थी थी, वो दिनांक– 03.06.2013 को चयन समिति वो ग्रामीणों के समक्ष आम सभा सम्पन्न हुआ वो अपीलार्थी आवेदिका सभी मापदंडों को पूरा करने के बावजूद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी विपक्षी संख्या– 2 का चयन कर दिया गया। चयन के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा के समक्ष अपील वाद दायर की गयी जो खारीज कर दिया गया।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि अपीलार्थी वार्ड नं0– 2 की स्थाई निवासी है तथा उनके वो उनके परिवार क सदस्यों का नाम वार्ड संख्या– 2 के मतदाता सूची पर दर्ज है, जबकि विपक्षी संख्या– 2 वार्ड नंबर– 1 की स्थायी निवासी है तथा वार्ड संख्या– 2 के आंगनबाड़ी सेविका हेतु रिक्तियों घोषित थी। विपक्षी संख्या– 2 ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को मेल वो प्रभाव में लाकर दिनांक 03.06.2013 को सम्पन्न कर आम सभा में अपना चयन घोषित करवा ली।

अपीलार्थी उच्च अंक धारी है तथा मैट्रीकुलेशन समकक्ष परीक्षा फोकनियॉ में 81.6% तथा इन्टर समकक्ष परीक्षा मोलवी में 82% अंकधारी है, जबकि विपक्षी संख्या–2 का अपीलार्थी को अपेक्षा बहुत कम अंक प्राप्त है तथा वार्ड संख्या– 1 की स्थाई निवासी है। बावजूद इसके चयन समिति के सदस्य साथ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी ने उच्च रकम लेकर विपक्षी का नाम दिनांक 03.06.2013 को सम्पन्न हुए आम सभा में गलत वो नजायज रूप से धोषित कर दिये। अपीलार्थी की सास वार्ड नंबर– 2 की पंच थी वो आम सभा से पूर्व ही दिनांक 18.05.2013 को सरपंच को अपना त्याग पत्र दे दी और सरपंच द्वारा त्याग पत्र स्वीकार भी कर लिया गया वो दिनांक 18.05.2013 से अपीलार्थी की सास पंच नहीं रही वो आम वार्ड सदस्य के अध्यक्ष में प्रारंभ हुई वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी द्वारा नजायज व गलत तरीके से अपीलार्थी की सास से उक्त आम सभा की बैठक वाली पंजी पर हस्ताक्षर करवा लिया गया, जबकि अपीलार्थी की सास अपना नाम भी किसी तरह से लिखना जानती है वो नजायज तरीके से विपक्षी संख्या–2 के चयन की धोषणा कर दिये। अपीलार्थी द्वारा दिनांक– 03.06.2013 को आम सभा में विपक्षी के चयन से विशुब्ध होकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा के न्यायालय में अपील वाद संख्या– 28/13–14 दायर किया गया। विपक्षी संख्या– 2 के नाजायज तरीके से अपीलार्थी को धोखा देकर दो सादे कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर उसका उपयोग उक्त अपील वाद को वापस लेने हेतु आवेदन के रूप में कर दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा द्वारा अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील वाद संख्या– 28/13–14 को खारीज कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अपीलार्थी न्यायालय आकर जब यह जानकारी प्राप्त की तब बजाप्ता नकल हेतु अपना आवेदन दिनांक 30.10.2015 को दाखिल की तो उक्त नकल कार्यालय द्वारा 26.11.2015 को हस्तगत करवाया गया। विलम्ब क्षांत हेतु आवेदन दाखिल कर प्रस्तुत अपील दाखिल है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा द्वारा पारित आदेश विल्कुल तथ्यहीन, गैर न्यायिक है।

अग्रतर अपीलार्थी का कहना है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा के समक्ष भी अपना शैक्षणिक प्रमाण–पत्र दाखिल किया गया। विपक्षी के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र दाखिल किया गया विपक्षी के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के अपेक्षा उच्च अंकधारी होना स्पष्ट करता है वार्ड नंबर– 1 एवं 2 का वोटर लिस्ट भी दाखिल किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी–2 वार्ड संख्या–1 की मतदाता है वो अन्य वार्ड की है किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा द्वारा तथ्यात्मक वातों पर तनिक विचार नहीं किया गया। उन्होंने मनमाने रूप से अपीलार्थी के अपील को खारीज कर दिये। अन्ततः अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी वाद संख्या– 11/15–16 में पारित

11.3.17

आदेश ज्ञापांक 1125–1 दिनांक 16.05.2015 को निरस्त कर अपीलार्थी का चयन आंगनबाड़ी सेविका हेतु आदेश प्रदान करने की याचना की गयी है। विपक्षी का कहना है कंडिका 1 एवं 2 के संदर्भ में वर्णित तथ्य बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं, बल्कि सत्य यह है कि विपक्षी का चयन द्वारा आम सभा चयन समिति के द्वारा सभी अर्हताओं को सही पाकर नियमानुसार किया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी निम्न न्यायालय में शिकायत दाखिल की जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से सुनवाई के पश्चात् विपक्षी का चयन सही पाकर वाद खारीज कर दिये।

विपक्षी का अग्रतर कहना है कंडिका 3 के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा गलत मनगढंत आरोप बाल विकास पदाधिकारी, महिषी के विरूद्ध लगाया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है वल्कि आम सभा के समक्ष दिनांक 03.11.13 को सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पर नियमानुसार विचार किया गया। मार्ग दर्शिका में वर्णित प्रावधान के अनुसार विपक्षी का अर्हता सही पाकर चयन किया गया। कंडिका– 4 के संबंध में विपक्षी का कहना है अपीलार्थी की सास वीवी कुलसुम आम सभा में उपाध्यक्ष थी, वँह अपना हस्ताक्षर आम सभा पंजी पर बनाई है। अपीलार्थी का यह कहना कि आम सभा से पूर्व त्याग पत्र दे दी सर्वथा भ्रामक व तथ्य विहिन है। कंडिका 5.6 में वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं वल्कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह करने की नीयत से गलत बयानबाजी लिया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तार्किक आदेश पारित किया गया तथा दिनांक 13.01.2014 को खारीज कर दिये, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी कोई अपील दाखिल नहीं की। इसलिए पुनः से वाद दायर कर उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय में दाखिलकी जो पोषणीय नहीं है, वल्कि खारीज काबिल है। अपीलार्थी द्वारा पुनः अपील वाद 28/13–14 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2014 के विरूद्ध कोई अपील दाखिल नहीं की तब दुबारा पुनः निम्न न्यायालय में अपील वाद 11/15–16 दाखिल की, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा खारीज कर दिया कि पूर्व मे अपीलार्थी का अपील खारीज है, इसलिए पनः अपील स्वीकार योग्य नहीं है। विपक्षी द्वारा अग्रतर कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका हेतु मात्र तीन अभ्यर्थी आवेदन दी। जिसमें अपीलार्थी जैनव खातुन, विपक्षी बेबी कुमारी एवं प्रियंका कुमारी थी। दिनांक 03.06.13 को सेविका पद के चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड नंबर– 2 वार्ड सदस्य मो0 नियामत की अध्यक्षता में वार्ड पंच वीवी कुलशुम की उपाध्यक्षता तथा सदस्य सचिव बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी की मौजूदगी में उपस्थित पोषक क्षेत्र के आम जनता के बीच चयन की कार्रवाई की गई। वर्ग वाहुल्य अति पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया। आम सभा में प्रियंका कुमारी जो वार्ड नं0– 3 की रहने वाली थी, जो अनुपस्थित थी, इसलिए मार्ग दर्शिका 2011 की कंडिका 8.4 अनुरूप चयन से वंचित कर दिया गया। तत्पश्चात बचे हुए दो अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया गया, चूँकि अपीलार्थी जैनव खातुन की सास वीवी कुलशुम वार्ड नं0– 2 की निर्वाचित पंच है जो आम सभा में उपाध्यक्ष है, जिनके द्वारा त्यागपत्र के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया, इसलिए मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 4.8 के अनुरूप जन प्रतिनिधि के रिश्तेदार का चयन नहीं किया जा सकता है। स्वयं वीवी कुलशुम द्वारा आम सभा में यह नहीं कहा गया कि वह त्यागपत्र दे चुकी है अथवा देगी जबकि वह स्वयं उपाध्यक्ष थी। तदनुरूप अपीलार्थी जैनव खातुन को चयन हेतु अयोग्य घोषित किया गया यह तथ्य आम सभा पंजी के प्रस्ताव संख्या– 6 में वर्णित व उल्लेखित है।

विपक्षी का अग्रतर कहना है अपीलार्थी वर्त्तमान में आशा के रूप में कार्यरत है, जिस तथ्य को छुपाकर वाद दायर की है जो सरासर गलत है। अन्ततः विपक्षी का कहना है अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील वाद को खारीज करने की याचना की गयी।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील वाद खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
11.3.17
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

11.3.17
जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 519-2 / विधि, सहरसा, दिनांक- 30-3-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
30.3.17